



2026:AHC:26945

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4846/2026

महावीर

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	अरविन्द कुमार राय, हेमन्त कुमार राय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में जो आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है, उसे देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे 30प्र0 भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के तहत वाद संख्या टी202515060406390 (महावीर बनाम ग्राम सभा) का शीघ्रता से निस्तारण करें।
4. यह मामला अवर न्यायालय में काफी लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपर्युक्त मामले का निर्णय शीघ्रतापूर्वक, विधि के पूर्णतः अनुरूप तथा—जब तक कोई विधिक बाधा न हो—बिना किसी अनावश्यक स्थगन के करे।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"